कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 25वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक 28.11.2025

विद्या–परिषद् की 25वीं बैठक दिनांक 28.11.2025 को अपराह्न 12:15 बजे माननीय कुलगुरू महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें :–

	प्रो0 भगवती प्रसाद सारस्वत माननीय कुलगुरू कोटा विश्वविद्यालय, कोटा	**अध्यक्ष**
2.	**डॉ0 मुकेश कुमार शर्मा (Online)** संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा मुख्य सचिव के नामित सदस्य	सदस्य
3.	**डॉ. राहुल सक्सेना,** राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
4.	**प्रो0 धीरेन्द्र सिंह,** राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
5.	**डॉ. अनामिका राठौर,** राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
6.	**प्रो0 प्रतिमा श्रीवास्तव,** अधिष्ठाता, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटा	सदस्य
7.	**प्रो0 जे.पी. शर्मा,** अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय कोटा विश्वविद्यालय,कोटा	सदस्य
8.	**प्रो0 आर.के. उपाध्याय,** अधिष्ठाता, विधि संकाय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा	सदस्य

9. **प्रो0 अनिता सुखवाल** सदस्य
अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय
कोटा विश्वविद्यालय,कोटा

10. **प्रो0 रोशन भारती** सदस्य
अधिष्ठाता, कला संकाय
प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

11. **डॉ0 सुषमा सिंह** सदस्य
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, जे.एल.एन.टी.टी. कॉलेज, कोटा

12. **प्रो0 घनश्याम शर्मा (Online)** सदस्य
कुलगुरू द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

13. **डॉ0 प्रज्ञा धीर** सदस्य
कुलगुरू द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

14. **प्रो0 नीलू चौहान (Online)** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, रसायन शास्त्र

15. **प्रो0 मन्जु गुप्ता** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र

16. **प्रो0 संदीप सिंह चौहान,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, राजनीतिक विज्ञान

17. **डॉ0 दीपा चतुर्वेदी,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी

18. **डॉ0 नुसरत फातेमा,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, उर्दू

19. **प्रो0 आदित्य कुमार गुप्ता,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, हिन्दी

20. **डॉ0 सी.पी. ददलानी,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिन्धी

21. **डॉ. शालिनी भारती,** सदस्य
पाठ्यक्रम समिति, आरेखन एवं रंगांकन

22. **डॉ. ओ.पी. शर्मा,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र

23. **प्रो० पूर्ण चन्द्र उपाध्याय,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत

24. **डॉ. इरफान अहमद,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र

25. **डॉ० प्रणव देव, (Online)** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास

26. **डॉ० मीरा गुप्ता,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

27. **डॉ० दीपा स्वामी** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह विज्ञान

28. **डॉ० राज कुमार गर्ग** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन

29. **डॉ० अरूण कुमार** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित

30. **डॉ० हरीश गौतम,** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी शास्त्र

31. **डॉ० दीपक कुमार** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ई.ए.एफ.एम.

32. **प्रो० अनुकृति शर्मा** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यावसायिक प्रशासन

33. **डॉ० के.के. शर्मा** सदस्य
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

सदस्य

34. **डॉ0 एम.एस मीणा**
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

कार्यवाहक कुलसचिव

35. **श्री भगवान कर्मचन्दानी**
वित्त नियंत्रक,कोटा विश्वविद्यालय,कोटा

सदस्य सचिव

36. **डॉ0 जॉली भण्डारी**
उपकुलसचिव (अकादमिक)

आयुक्त, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर; प्रो0 मनोज बहरवाल, कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य; प्रो0 विजय कुमार पंचोली, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिकी; प्रो0 मीनू माहेश्वरी, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.बी.एस.टी. बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलगुरू महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

आज विद्या परिषद् की बैठक के दिन प्रातः कुलसचिव महोदय की अचानक अस्वस्थता के कारण विश्वविद्यालय में उपस्थित न होने के कारण लिंक ऑफिसर वित्त नियंत्रक (कार्यवाहक कुलसचिव) उपस्थित हुए। परन्तु विद्या परिषद में रखे जाने वाले एजेण्डा आइटम से अनभिज्ञ होने के कारण सदन द्वारा डॉ. जॉली भण्डारी उपकुलसचिव (अकादमिक) को विद्या परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया। विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण भी डॉ. भण्डारी द्वारा जारी किए जावेंगे।

इसके पश्चात् विद्या–परिषद् की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या–1	:	**विद्या–परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 08.04.2024 व 24वीं बैठक दिनांक 13.01.2025 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 08.04.2024 व 24वीं बैठक दिनांक 13.01.2025 (by circulation method) के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 08.04.2024 व 13.01.2025 (by circulation method) में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 08.04.2024 व 13.01.2025 (by circulation method) में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया।

मद संख्या–3	:	**माननीय कुलगुरू महोदय के निम्न आदेशों को रिपोर्ट करना।** 1. वर्ष **2024–25** में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश (पृष्ठ सं. 17 से 22)। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र **2024–25** के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश। (पृष्ठ सं. 23 से 107)। 3. वर्ष **2025–26** में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश (पृष्ठ सं. 108 से 156)। 4. विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र **2025–26** के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश। (पृष्ठ सं. 157 से 240)।
निर्णय	:	वर्ष 2024–25 व 2025–26 में लिये गयें विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी माननीय कुलगुरू महोदय के आदेशों की पुष्टि की गई। विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2024–25 व 2025–26 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण अथवा संशोधन हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों को माननीय कुलगुरू महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेशों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–4	:	**विधि, वाणिज्य एवं प्रबंधन, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा तथा जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी आदेशों का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विधि, वाणिज्य एवं प्रबंधन, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शिक्षा तथा जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता की नियुक्ति संबंधी आदेशों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–5	:	**(I) विद्या परिषद की बैठक दिनांक 08.04.2024 की मद सं 7 के निर्णयानुसार नवीन पाठयकमों के संचालन के संबंध में गठित समिति के कम में अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन से प्राप्त पत्रांक 4962 दिनांक 14.11.2024 को विद्या परिषद् के समक्ष रिपोर्ट करना।** **(II) साथ ही विश्वविद्यालय परिसर मे सत्र 2025–26 से नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु उपरोक्त समिति की दिनांक 8.10.2025 की बैठक की अनुशंषाओं का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	(I) नवीन पाठयक्रमों के संचालन के संबंध में गठित समिति की

		अनुशंषाओं के क्रम में अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन से प्राप्त पत्रांक 4962 दिनांक 14.11.2024 को विद्या परिषद् द्वारा पारित किया गया। (II) साथ ही विश्वविद्यालय परिसर मे सत्र 2025-26 से नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु नवीन पाठयकमों के संचालन के संबंध में गठित समिति की दिनांक 8.10.2025 की बैठक की अनुशंषाओं को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या-6	:	**विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विद्या सम्बल योजना संबंधी दिशा निर्देशों के संबंध में अभ्यर्थियों से दो बार आवेदन लेने सम्बंधी प्रस्ताव पर उचित निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	सत्र 2025-26 के लिए दो दिवस पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी विद्या सम्बल योजना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त अनुसार अभ्यर्थियों से प्रत्येक वर्ष में एक बार ही आवेदन मांगने के प्रस्तावों तथा वर्ष को नवम्बर से प्रारम्भ मानते हुए अभ्यर्थियों को रखे जाने का निर्णय लिया गया।
मद संख्या-7	:	**विश्वविद्यालय की केन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 5 अप्रेल, 2024 में बिन्दु संख्या 9 में लिये गये निर्णय/प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा शिक्षक/विद्यार्थी अनुपात में स्वीकृत पदों की राज्य सरकार स्तर से अनुमति मिलने तक विभिन्न विभागों द्वारा विषय विशेषज्ञों/विस्तार व्याख्याता/विजिटींग शिक्षकों को विद्या सम्बल योजना में दिये जा रहे मानदेय 800/- प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 45,000/- (प्रतिमाह) दिये जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या-8	:	**MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, प्रवेश क्षमता में संशोधन तथा शुल्क में कमी संबंधी निर्णय रिपोर्ट करने हेतु।**
निर्णय	:	MCA पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण, प्रवेश क्षमता में संशोधन तथा शुल्क में कमी संबंधी निर्णयों को पारित किया गया।
मद संख्या-9	:	**विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता समिति (Dean's Committee) द्वारा बैठक दिनांक 19.08.2025 में लिए गए निर्णयों को विद्या परिषद् की बैठक में रिपोर्ट करना। उक्त बैठक में दो Academic Programmes को एक साथ अध्ययन करने की अनुमति देने संबंधी दिशा-निर्देश, MA (GPEM) को अन्य पाठ्यक्रमों से समकक्ष मानने संबंधी आदि अनेक निर्णय लिए गए। उक्त समिति की बैठक की अनुशंषाओं को विद्या-परिषद के समक्ष रिपोर्ट करना।**

29-11-2025 14:33

निर्णय	:	विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता समिति (Dean's Committee) द्वारा बैठक दिनांक 19.08.2025 में लिए गए निर्णयों को पारित किया गया।
मद संख्या–10	:	**कोटा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर विषय शामिल करने हेतु विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विज्ञान विभाग के प्रस्तावों पर विचार करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर मे संचालित बी.एस.सी. पाठ्यक्रम (जो विगत कई वर्षो से विभाग द्वारा संचालित है) भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषयों में संचालित किया जा रहा हैं। इसमें रसायन विज्ञान के विकल्प के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान विषय शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–11	:	**राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम 1974 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकों में बुलवाये जाने वाले विषय–विशेषज्ञों का पैनल राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को शॉर्टलिस्ट किये जाने के लिए भिजवाये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करवाने बाबत्।**
निर्णय	:	राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम 1974 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु चयन समिति की बैठकों में बुलवाये जाने वाले विषय–विशेषज्ञों का पैनल राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को शॉर्टलिस्ट किये जाने के लिए भिजवाये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किये गये निम्नानुसार विषयों के विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया। 1. फिजिक्स 2. वाणिज्य एवं प्रबन्ध 3. कम्प्यूटर साइंस 4. केमेस्ट्री 5. फार्मेसी 6. राजनीति विज्ञान 7. इतिहास 8. हेरिटेज, ट्यूरिज़्म, म्यूजियोलॉजी एवं आर्कियोलोजी 9. लोक प्रशासन 10. अर्थशास्त्र 11. समाजशास्त्र

मद संख्या–12	:	**कोटा विश्वविद्यालय में एक नवीन विभाग–पर्यटन अध्ययन विभाग (Department of Tourism Studies – DTS) की स्थापना के प्रस्तावों को अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	उक्त प्रस्तावों पर पूरक मद संख्या 04 में चर्चा कर निर्णय लिया गया।
मद संख्या–13	:	**कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सामाजिक विज्ञान विभाग को अलग–अलग विषयों के विभागों में विभक्त करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय करने बाबत।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सामाजिक विज्ञान विभाग को अलग–अलग विषयों में विभक्त करते हुए प्राथमिक रूप से भूगोल, लोक प्रशासन एवं अर्थशास्त्र तथा भविष्य में इतिहास, राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र के विभागों में भी विभक्त करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
पूरक मद सं. 01	:	**विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–2027 से Intergreated Teacher Education Programme (ITEP), B.A.-LLB, B.Com-LLB, B.Sc-LLB आदि पाठ्यक्रमों को SFS Mode पर प्रारंभ किए जाने व पाठ्यक्रमों से संबंधित शाषी निकायों (Governing bodies) से मान्यता चाहने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव विद्या–परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में आगामी सत्र 2026–2027 से Intergreated Teacher Education Programme (ITEP), B.A.-LLB, B.Com-LLB, B.Sc-LLB आदि पाठ्यक्रमों को SFS Mode पर प्रारंभ किए जाने व पाठ्यक्रमों से संबंधित शाषी निकायों (Governing bodies) से मान्यता चाहने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। साथ ही सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय परिसर मे B.A पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने की अनुशंषा की गई।
पूरक मद सं. 02	:	**भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम–हिन्दू अध्ययन, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्तावों का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम–हिन्दू अध्ययन, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए जाने हेतु प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

पूरक मद सं. 03	:	**विश्वविद्यालय परिसर व सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित व स्वयंपाठी विधार्थियों के लिए संचालित समस्त स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नई शिक्षा नीति लागू करने के क्रम में समस्त पाठ्यक्रमों को Choice Based Credit System (CBCS) प्रणाली के अनुसार तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय की CBCS Committee की बैठक दिनांक 04.05.2024, 23.07.2024 व 11.08.2025–12.08.2025 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय की CBCS Committee की बैठक दिनांक 04.05.2024, 23.07.2024 व 11.08.2025–12.08.2025 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
पूरक मद सं. 04	:	**कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के अंतर्गत तीन पृथक–पृथक विभागों यथा वाणिज्य, प्रबंधन व टूरिज्म विभागों का संचालन किए जाने के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के अंतर्गत वाणिज्य व प्रबन्धन दो पृथक विभागों का संचालन व Tourism and Hospitality के नाम से नवीन विभाग को प्रारंभ किए जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय में तीन पृथक–पृथक विभागों का Structure निम्नानुसार होगा – Department of Commerce- M.Com • Accountancy and Business Statistics. (ABST) • Business Administration (Bus. Adm.) • Economic Administration and Financial Management (EAFM) • PG Diploma in Income Tax-Law & Practices • PG Diploma in Goods & Services Tax-Law & Practices. Department of Management- • MBA • MBA- International Business (IB) • MBA- Hospital Administration (HA) Department of Tourism and Hospitality- • Five year integrated BTTM-MTTM (Tourism & Management) • MTTM • Specialized PG diploma like Medical Tourism, Agro Tourism and Event Management.

29-11-2025 14:33

पूरक मद सं. 05	:	**विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रं. 7871–7875, दिनांक 22.11.2025 की अनुपालना में आगामी दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले कुलाधिपति एवं कुलपति पदक के निर्धारण और विभिन्न संकायों में संचालित पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 25.11.2025 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश क्रं. 7871–7875, दिनांक 22.11.2025 की अनुपालना में आगामी दीक्षांत समारोह में प्रदान किये जाने वाले कुलाधिपति एवं कुलगुरू पदक के निर्धारण और विभिन्न संकायों में संचालित पाठ्यक्रमों के निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 25.11.2025 के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित किया गया।
पूरक मद सं. 06	:	**राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा 4 वर्षीय B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed पाठ्यक्रम के स्थान पर सत्र 2026–27 से 4 वर्षीय Intergrated Teacher Education Programme (ITEP) प्रारंभ करने संबंधी Gazette notification 2021 प्रकाशित किया गया। NCTE के उक्त Gazette Notification का अनुमोदन करना। साथ ही NCTE के B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed से ITEP संपरिवर्तित करने संबंधी दिशा–निर्देशों, Merger व Collaboration संबंधी दिशा–निर्देशों पर विचार व निर्णय लेना।**
निर्णय	:	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा 4 वर्षीय B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed पाठ्यक्रम के स्थान पर सत्र 2026–27 से 4 वर्षीय Intergrated Teacher Education Programme (ITEP) प्रारंभ करने संबंधी Gazette Notification 2021 को अनुमोदित किया गया। साथ ही NCTE के B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed से ITEP संपरिवर्तित करने संबंधी दिशा–निर्देशों को राज्य सरकार के निर्देशों के शर्ताधीन Merger व Collaboration संबंधी दिशा–निर्देशों को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed पाठ्यक्रम के B.A व B.Sc विषयों के लिए शिक्षकों के चयन हेतु UGC के मापदंडानुसार योग्यताओं को अपनाते हुए पृथक–पृथक विषयों के शिक्षाविदो के पेनलो से चयनित शिक्षकों के चयन का अनुमोदन किया जाता रहा है। परन्तु ITEP के लिए NCTE के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए शिक्षा विषय के शिक्षाविदो के एक ही पेनल से चयन का अनुमोदन करवाये जाने की अनुशंषा की गई। ITEP के लिए B.A.-B.Ed/B.Sc.-B.Ed पाठ्यक्रम के पूर्व अनुमोदित स्टाफ को ITEP के लिए नही माना जावे तथा ITEP के लिए नवीन रूप से प्रक्रिया की अनुशंषा की गई।

पूरक मद सं. 07	:	**कोटा विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान संकाय (Faculty of Life Science) व उक्त संकाय के अधिष्ठाता नियुक्ति पर पुर्नविचार करना।**
निर्णय	:	विद्या परिषद् की 16वीं बैठक दिनांक 09.07.2019 की मद सं. 10 में की गई अनुशंषाओं की पालना में विश्वविद्यालय में नवीन संकाय–जीव विज्ञान **(Life Science)** की स्थापना की गई थी। उससे पूर्व Microbiology, Biotechnology & WildLife Science आदि विषय विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही थे। जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता को नियुक्त करते समय उक्त विषय के कोई स्थाई आचार्य अथवा सह–आचार्य व प्राचार्य न उपलब्ध होने के कारण उक्त संकाय के अधिष्ठाता नियुक्त नहीं हो पाते है। किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व देना पड़ता है। राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में भी उपरोक्त विषयों को विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही लिया गया है।उक्त विषयों में विधार्थियों की संख्या भी सीमित है। अतः जब तक उपरोक्त विषयों में कोई स्थाई आचार्य अथवा सह–आचार्य व प्राचार्य न मिल जाए तब तक जीव विज्ञान संकाय को विज्ञान संकाय में ही समाहित किये जाने तथा उक्त विषय के विद्यार्थियों को उपाधि पूर्व की भांति विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही दिए जाने के प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।
पूरक मद सं. 08	:	**परीक्षा वर्ष 2023 की समस्त उपाधियों का 'ग्रेस पास' किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	परीक्षा वर्ष 2023 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियां– 80117) के "ग्रेस पास" किए जाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

अन्त में कुलगुरू महोदय ने सभी माननीय सदस्यों का बैठक में सक्रियता से भाग लेने लिए आभार व्यक्त किया।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलगुरू
अध्यक्ष, विद्या–परिषद्
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य सचिव, विद्या–परिषद्
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

D:/AC Minutes/Kapil/1

05-12-2025 18:55